न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/29/2024	2024/158	19.09.2024	16.07.2025

–उनवान–

1. सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्, अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स ग्रीन फील्ड इन्डस्ट्रीज ए यूनिट ऑफ एस.डी.कैम. प्रा. लि., ए–319ए, एम.आई.ए. अलवर राज0।
2. अभिनव सिंघल पुत्र श्री अरूण सिंघल मैसर्स ग्रीन फील्ड इन्डस्ट्रीज तृतीय तल 21, सुनेजा हाउस, यूसूफ सराय, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स न्यू देहली–49।
3. जितेन्द्र तोमर पुत्र श्री पदमसिंह 1/543 काला कुआं, अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः–

01.श्री पी.सी. मीणा, कृषि अधिकारी **–विभागीय प्रतिनिधि**

02.श्री मुनीराम यादव **–वकील अप्रार्थी सं. 3**

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत औद्योगिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित जब्त यूरिया उर्वरक मात्रा 110X45 मात्रा को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 (A) प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 01.07.2024 को मैसर्स ग्रीन फील्ड इन्डस्ट्रीज ए यूनिट ऑफ स.डी. कैम. प्रा. लि०, ए–319–ए एम.आई.ए. अलवर (राजस्थान) के यहाँ पाये गये टेक्निकल ग्रेड यूरिया का संदेह के आधार पर नमूना आहरण किया गया, जिसको इस कार्यालय के पत्रांक 1737 दिनांक 02.07.2024 को विश्लेषण हेतु राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया था। प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट कमांक 902 दिनांक 30.07.2024 द्वारा उक्त टेक्निकल ग्रेड यूरिया में नीम ऑयल कन्टेंट 0.037 प्रतिशत पाया गया, जो औद्योगिक प्रयोग के लिए प्रतिबंधित है। इस कारण दिनांक 03.09.2024 को कम्पनी परिसर में पाये गये टैक्निकल ग्रेड यूरिया मात्रा 110X45 किग्रा को जब्त कर अलवर कय–विक्रय सहकारी समिति लि० डी–10 कृषि उपज मण्डी, अलवर में रखवा दिया गया। जब्ती के दौरान मौके पर श्री जितेन्द्र तोमर पुत्र श्री पदमसिंह उपस्थित थे, जिनको उक्त जब्त उर्वरक की सीजर नोट जारी कर प्राप्ति रसीद दे दी गई थी। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28 (1) (ड) के तहत सीजर नोटिस देकर उपलब्ध स्टॉक को जब्त किया गया। उर्वरक आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है। अतः प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियग की धारा 6 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तशुदा उर्वरक को राजसात करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।

अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 01.07.2024 को मैसर्स ग्रीन फील्ड इन्डस्ट्रीज ए यूनिट ऑफ एस. डी. कैम, प्रा. लि., ए–319–ए एम. आई. ए. अलवर (राजस्थान) के यहाँ पाये गये,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

टेक्निकल ग्रेड यूरिया का संदेह के आधार पर नमूना आहरण किया गया था। उक्त नमूना की जाँच कहाँ से कराई गई, इस बाबत हम अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नही हैं, ना ही क्या नमूना राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया, इस बाबत हम अप्रार्थीगण को कोई जानकारी हैं। उक्त यूरिया हम अप्रार्थीगण ने जरिये बिल नंबर एचटीएल / 23–24 / 427 751387638286 दिनांक 04 दिसम्बर 23 को 111 बैग 45 किलो एच आई सी एस ट्रेडक्स 105 / ए, फर्स्ट फ्लोर, 21 फस्ट सेन्चुरी प्लॉजा कम्यूनिटी सेन्टर सैक्टर–8 रोहिणी देहली ए (रजिस्टर्ड डीलर गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाईजर लिमिटेड, भरूच गुजरात) से राशि 1,95,304.50 रूपये + जी. एस. टी. राशि 35,154.81 रूपये कुल 2,30,459 / – रूपये में खरीद किया गया था तथा उक्त यूरिया टेक्निकल ग्रेड था। दिनांक 01.07.2024 को टैक्निकल यूरिया सीज करके जो तीन नमूने लिये गये थे, उसी लॉट के माल में से एक नमूना हम अप्रार्थीगण हमारी प्रयोगशाला में संरक्षित रखते हैं, उसी बैग में से हमने अपने स्तर पर राजस्थान सरकार की अधिकृत राजकीय गुणवत्ता नियंत्रण कृषि प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान द्वारा नमूने का परीक्षण कराया गया, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 11.09.2024 में "नीम आयल कन्टेंट" 0.00 प्रतिशत पाया गया हैं। जिस परीक्षण रिपोर्ट की प्रति जवाब नोटिस के साथ संलग्न कर पेश की जा रही हैं।

श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अलवर राजस्थान द्वारा जो नमुना हमारे यहाँ से दिनांक 01.07.2024 को लिया गया था, वो टैक्निकल ग्रेड यूरिया का ही लिया गया। 3 रैफरर नमुनों में से दो नमुने संयुक्त निदेशक अलवर राजस्थान के द्वारा लिये गये हैं, और एक नमुना सील करके हमें दिया गया था, वो हमारे पास संरक्षित हैं। उक्त टैक्निकल ग्रेड यूरिया का दुबारा परीक्षण कराया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं। जिसके लिए आयुक्त कृषि पंत कृषि भवन, कृषि आयुक्तालय जयपुर राजस्थान को उक्त टैक्निकल ग्रेड यूरिया का पुनः परीक्षण के लिए हमने आवेदन दिनांक 11.09.2024 को किया हुआ हैं। उक्त जॉच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं होने पर श्रीमान् आयुक्त कृषि पंत भवन कृषि आयुक्तालय जयपुर राजस्थान को शेष नमूना की जाँच के लिए निवेदन किया गया। दिनांक 07.01.2025 को निवेदन पर व्यक्तिगत सुनवाई कर दिनांक 28.08.2024 को उक्त सैम्पलो को पुनः जॉच हेतु केन्द्रीय गुण नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान एच.एच 4 फरीदाबाद, हरियाणा को भिजवाया गया। जिसकी जाँच रिपोर्ट दिनांक 27. 02.2025 द्वारा यूरिया मानक पाया गया। जिसमें कोई नीम ऑयल नहीं पाया गया। जिसकी रिपोर्ट जवाब के साथ संलग्न हैं। उक्त उर्वरक की हम अप्रार्थीगण को सख्त आवश्कता हैं।

अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि हम अप्रार्थीगण को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के नोटिस के भार से मुक्त फरमाया जावें। तथा दिनांक 30. 09.2024 को क्रय–विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, डी–10 कृषि उपज मण्डी अलवर राजस्थान में जब्त यूरिया 110 बैग भार 45 किलोग्राम को हम अप्रार्थीगण को वापिस सुपुर्द करने के आदेश पारित किए जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस उभयपक्ष पर चिन्तन–मनन किया। प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रा0पत्र में वर्णित जब्तशुदा टेक्निकल ग्रेड यूरिया उर्वरक में नीम ऑयल कंटेन्ट 0.037 प्रतिशत पाया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं बहस से स्पष्ट है कि उक्त टेक्निकल ग्रेड यूरिया उर्वरक अप्रार्थीगण ने जरिये बिल नंबर एचटीएल / 23–24 / 427 751387638286 दिनांक 04.12.2023 को 111 बैग प्रत्येक 45 किलोग्राम, एच.आई.सी.एस. ट्रेडक्स 105 / ए, फर्स्ट फ्लोर, 21 फस्ट सेन्चुरी प्लॉजा कम्यूनिटी सेन्टर सैक्टर–8 रोहिणी देहली ए (रजिस्टर्ड डीलर गुजरात नर्मदा वैली फर्टीलाईजर लिमिटेड, भरूच गुजरात) से राशि 1,95,304.50 रूपये + जी. एस. टी. राशि 35,154.81 रूपये कुल 2,30,459 / – रूपये में खरीद किया गया था। जहां तक उर्वरक के मानक का प्रश्न है। पत्रावली में संलग्न केन्द्रीय गुण नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान एन.एच.4

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम)
अलवर (राज0)

फरीदाबाद द्वारा जारी टेक्निकल ग्रेड यूरिया की विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक 17–1/2024CFTI दिनांक 27.02.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्तशुदा Technical grade urea Batch no. SKR/23/10/03 dated. 01.07.2024 code no. JD/F/2024-25/002 मानक (STANDARD) पाया गया है। प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है तथा उर्वरक निरीक्षक एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्, अलवर (राज0)को यह निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा टेक्निकल ग्रेड यूरिया उर्वरक के 110 बैग प्रत्येक 45 किलोग्राम वजनी सुपुर्दगीगार अलवर क्रय–विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड डी–10, कृषि उपज मण्डी अलवर से नियमानुसार प्राप्त कर अप्रार्थीगण मैसर्स ग्रीन फील्ड इन्डस्ट्रीज ए यूनिट ऑफ एस.डी.कैम. प्रा. लि., ए–319ए, एम. आई.ए. अलवर राज0 जरिये जितेन्द्र तोमर पुत्र श्री पदमसिंह 1/543 काला कुआं, अलवर को सुपुर्द करावें। निर्णय की प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्, अलवर (राज0) को पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राजस्थान)